संख्या-44/2020/2632/77-3-2020-07बजट/2020

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 10 दिसम्बर, 2020

विषय- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि रू0 1,47,97,945/- की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2203/यूपीडा/08/147, दिनांक 01.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-07 लेखा शीर्षक ''2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-18-यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' में प्राविधानित धनराशि रू0 36.35 करोड़ में से पंजाब नेशनल बैंक से लिये गये ऋण पर दिनांक 10.11.2020 से 31.12.2020 तक देय ब्याज रू0 1,47,97,945 /- (रू0 एक करोड़ सैतालिस लाख सत्तानवे हजार नौ सौ पैतालिस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/ बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020,दिनांक 11.04.2020, 07.04.2020 व 18.05.2020द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखा शीर्षक ''2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-18- यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

4. उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या-ई-6.-879/दस-2020, दिनांक 10.12.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

<u>संख्या-44/2020/2632(1)/77-3-2020, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।